

(86)

रिप्यू अनुमति व/रि

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग

कमांक 154/प्रवाचक/अपर आयु0/2019 जबलपुर दिनांक 25/01/2019  
प्रति,

अवर सचिव,  
राजस्व मण्डल,  
मोती महल ग्वालियर,  
कैम्प, जबलपुर।

विलिपि-0243/2019/दिनांक/प्रवाचक


विषय- इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 137/अ-27/11-12 के पुनर्विलोकन हेतु  
अनुमति बाबत।

000

विषयान्तर्गत इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 137/अ-27/11-12, पक्षकार पुरुषोत्तम वल्द कोमल प्रसाद साहू एवं अन्य विरुद्ध नारायण प्रसाद पिता गुलाब साहू एवं अन्य में, दिनांक 27/11/2017 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है। उक्त अपील के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दिनांक 8/10/2018 को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपीलार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। चूंकि प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु मा. राजस्व मण्डल को मूल अभिलेख सहित प्रकरण प्रेषित है।

कमांक	प्रकरण कमांक	पक्षकार	पारित आदेश
1	न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग का प्रकरण कमांक 137/अ-6/11-12 आदेश पत्रिका पृष्ठ कमांक 1 से 13	पुरुषोत्तम एवं अन्य विरुद्ध नारायण प्रसाद एवं अन्य।	27/11/2017
2	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, छिन्दवाडा के प्रकरण कमांक 22/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 27/4/2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि, अधिवक्ता पत्र, एवं अन्य पत्र। पृष्ठ 1 से 53		
2	पुनर्विलोकन आदेश पत्रिका पृष्ठ 1, पुनर्विलोकन आवेदन एवं अन्य पृष्ठ 1 से 69	पुरुषोत्तम पिता स्व0 कोमल साहू एवं अन्य विरुद्ध द्वारका वल्द स्व0 नारायण साहू एवं अन्य।	8/10/2018



(प्रवाचक)  
अतिरिक्त कमिश्नर  
जबलपुर संभाग।

कमांक  
29.1.19  
(B)

M

